न्यायालयः द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, देपालपुर जिला इंदौर (म.प्र.)

(समक्ष पीठासीन अधिकारी :– रूपल गुप्ता)

Registration No.- RCS A 9/2020
Filing No- 17/2020
CNR No.-MP0907-000239-2020
Filing Date - 19-02-2020

01. श्रीमती संतोषबाई पति प्रहलाद पिता रतनलाल,
उम्र–54 वर्ष, व्यवसाय –कृषि,
निवासी– नैगवा तहसील तराना, जिला उज्जैन (म.प्र.)

02. श्रीमती सावित्रीबाई पति कैलाश,
उम्र–50 वर्ष, व्यवसाय– कृषि,
निवासी–पीर कुँआ, धार नाका,
देपालपुर, जिला इंदौर (म.प्र.)

.... वादीगण

–वि रू द्ध–

01. बंशीलाल पिता रतनलाल,
उम्र–33 वर्ष, व्यवसाय– कुछ नहीं

02. बद्रीलाल पिता रतनलाल,
उम्र–56 वर्ष, व्यवसाय– खेती,
दोनों निवासी– खटवाडी तह. देपालपुर, जिला इंदौर (म.प्र.)

03. मध्यप्रदेश शासन तर्फे कलेक्टर महोदय,
कलेक्टर कार्यालय मोती तबेला, इंदौर, (म.प्र.)

.... प्रतिवादीगण

वादी द्वारा श्री राकेश त्रिवेदी अधिवक्ता।
प्रतिवादी कमांक 01 द्वारा श्री सी.एस. जोशी अधिवक्ता।
प्रतिवादी कमांक 02 द्वारा श्री मुरली चौधरी अधिवक्ता।
प्रतिवादी कमांक 03 एकपक्षीय।

//निर्णय//

(आज दिनांक 29.11.2022 को घोषित)

01— प्रस्तुत वाद भूमि स्थित ग्राम अहिरवास तहसील देपालपुर पटवारी हल्का नंबर 48 में निम्न सर्वे नंबर की भूमि स्थित है— सर्वे नं. 181 रकबा 1.825, सर्वे नं. 182 रकबा 1.303 एवं सर्वे नं. 181/2 रकबा 2.4950 (जिसे निर्णय में वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया जावेगा) के संबंध में वाद घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व कब्जा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है।

02— वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण आपस में सगी बहने है। प्रतिवादी क्रमांक—01 वादीनी के सगे भाई है। वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता रतनलाल है, उनकी मृत्यु हो गयी है। ग्राम अहिरवास देपालपुर जिला इंदौर के पटवारी हल्का नंबर पुराना 10 नया 48 में सर्वे नं. 181 रकबा 4.953 व सर्वे नं. 182 रकबा 1.303 भूमि पूर्व में वादीगण एवं प्रतिवादी क्र. 01 व 02 के काका गोविंद के नाम से रही है, उनकी कोई संतान नहीं है। इस कारण उनकी मृत्यु उपरांत उनकी भूमि उनकी पत्नी सुंदरबाई के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज की गयी।

03— सुंदरबाई का कोई वारिस नहीं होने से उन्होंने वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक—01 व 2 की माता स्व. सीताबाई के पक्ष में वसीयत की थी। उनकी मृत्यु के उपरांत उक्त भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक—01 व 2 का नामांतरण किया गया, चूंकि वादीगण सीताबाई की मृत्यु के समय ससुराल में निवास करती थी और उनके पिता स्व. श्री रतनलाल भी प्रतिवादी क्रमांक—01 व 2 के साथ ही निवास करते थे। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का नाम दर्ज किया गया। उक्त भूमि ग्राम अहिरवास तहसील देपालपुर पटवारी हल्का नंबर 48 में सर्वे नं. 181 रकबा 1.825, सर्वे नं. 182 रकबा 1.303, सर्वे नं. 181/2 रकबा 2.4950 कुल 03 रकबा 5.629 है। वादग्रस्त भूमि का नामांतरण प्रतिवादी क्रमांक—01 व 2 का होने के उपरांत प्रतिवादीगण ने वर्ष 2005—06 में उक्त भूमि का बंटवारा कर लिया और सर्वे नंबर 181 को दो भागों में विभाजित करते हुए अलग—अलग बांट ली, जिसकी जानकारी वादीगण को नहीं हुयी। प्रतिवादी क्रमांक—01 ने वर्ष 2013 में सर्वे नं. 181 में से ढाई बीघा भूमि

विक्रय कर दी।

04— प्रतिवादी क्रमांक–01 रतनलाल की मृत्यु के उपरांत गलत संगत में पड़ गया और नशा आदि करने लगा और अपने नशे पानी के लिये वह वादग्रस्त भूमि को अन्य व्यक्तियों को विक्रय करने का प्रयास कर रहा है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से अपने हिस्से की मागी की तो प्रतिवादी क्रमांक–01 व 2 ने वादीगण का हिस्सा नहीं होना बताकर वादीगण के स्वत्वों से इंकार कर दिया। अतः वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के 1/4 भाग पर स्वत्व घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं कब्जा प्राप्ति की सहायता चाही गई है।

05— प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादी के अधिकांश अभिवचनों से इंकार करते हुये अपने जवाबदावे में व्यक्त किया है कि सुंदरबाई के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक–01 व 2 के पक्ष में वसीयत की गयी थी और उस अनुसार उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, किंतु खसरे के अवलोकन से उसमें कांट छांट से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा दावे में प्रस्तुत वर्ष 1994–95 के खसरे में पटवारी से रतनलाल द्वारा मिलकर अपनी पत्नी सीताबाई का नाम दर्ज करवा लिया। सीताबाई का नाम किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बिना खसरे में अंकित हुआ है। प्रतिवादी क्रमांक–01 द्वारा ग्राम अहिरवास की नामांतरण पंजी क्र. 47 वर्ष 1994 की नकल प्राप्त की गयी जिसमें नामांतरण पंजी में नामांतरण दर्ज होना नहीं पाया गया, पंजी क्र. 47 पर अन्य किसी दूसरे का नामांतरण दर्ज होना पाया गया, जबकि सुंदरबाई के बाद प्रतिवादी क्रमांक–01 व 2 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना था।

06— प्रतिवादी क्रमांक–01 व 2 के नाम दिनांक 22.05.1993 को राजस्व आदेश पारित करते हुए वादग्रस्त भूमि में अंकित हुये है, पंजी से स्पष्ट है कि नामांतरण से पूर्व विज्ञप्ति जारी की गयी थी। वादग्रस्त भूमि में वादीगण का कोई हिस्सा नहीं बनता है। प्रतिवादी क्रमांक–01 एक सन्यासी है, प्रतिवादी क्रमांक–01 कोई नशा नहीं करता है न ही प्रतिवादी क्रमांक–01 के मन में भूमि को विक्रय करने की बात आयी है। वादीगण द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है।

प्रतिवादी क. 1 द्वारा विशेष कथन करते हुए व्यक्त किया गया है कि रतनलालजी के नाम पर सर्वे नं. 32 रकबा 0.299 व सर्वे नं. 33 रकबा 0.178 की भूमि जो ग्राम खटवाडी तहसील देपालपुर, इंदौर में होकर उक्त संपत्ति पैतृक संपत्ति है। सर्वे नं. 174 रकबा 3.959 हेक्टेयर भूमि को रतनलाल जी के द्वारा विक्रय कर दी गयी है व सर्वे नं. 32 एवं 33 की भूमि को प्रेमबाई पति बद्रीलाल के नाम से प्रतिवादी क्रमांक–01 के द्वारा कर लिया गया है। अतः वादीगण का वाद निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

07– प्रतिवादी क्रमांक–01 द्वारा वादी के समस्त अभिवचनो को स्वीकार करते हुये व्यक्त किया गया है कि उसे वादीगण को उसका हिस्सा दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

08– उभयपक्ष के अभिवचनों तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किए गए थे। मेरे द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की विवेचना उपरांत वादप्रश्न पर प्राप्त निष्कर्ष उनके समक्ष अंकित है तथा निष्कर्ष के आधार इसके पश्चातवर्ती पदों में दिए जा रहें हैः–

वाद प्रश्न	**निष्कर्ष**
01. क्या वादीगण का वादग्रस्त भूमि स्थित पटवारी हल्का नंबर 48 ग्राम अहिरवास तहसील देपालपुर सर्वे नंबर 181/1, 182, 181/2 रकबा क्रमशः 1.825, 1.303, 2.495 हेक्टेयर के 1/4 भाग पर स्वत्व है ?	**''अप्रमाणित''**
02. क्या वादीगण का वादग्रस्त भूमि स्थित पटवारी हल्का नंबर 48 ग्राम अहिरवास तहसील देपालपुर सर्वे नंबर 181/1, 182, 181/2 रकबा क्रमशः 1.825, 1.303, 2.495	**''अप्रमाणित''**

हेक्टेयर के 1/4 भाग पर आधिपत्यधारी है ?	
03. क्या वादीगण वादग्रस्त भूमि के 1/4 भाग पर कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है ?	**''अप्रमाणित'**
04. क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के आधिपत्य की भूमि में विधि की सम्यक् प्रक्रिया से अन्यथा हस्ताक्षेप किया जा रहा है ?	**''अप्रमाणित''**
05. सहायता एवं वाद व्यय ?	**वादीगण का वाद निरस्त किया जाता है।**

<u>–:निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधारः–</u>

<u>वादप्रश्न कमांक 01, 02 एवं 03 का निराकरण</u>

09– उक्त तीनों वादप्रश्न अंतरमिश्रित होने से तथा साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए वादप्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

10– वादी साक्षी सावित्रीबाई (वा.सा. 1) द्वारा अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह अभिकथन किया गया है कि वादी संतोषबाई उसकी बहन है। प्रतिवादीगण बंशीलाल व ब्रदीलाल उसके भाई है। उसके पिता रतनलाल की मृत्यु वर्ष 2017 में हुई थी। उसने ग्राम अहिरवास की भूमि सर्वे नंबर 181, 182 के संबंध मे वाद प्रस्तुत किया है, जो कुल 25 बीघा भूमि है। वादग्रस्त भूमि पूर्व में उसके काका गोविंद की थी। गोविंद की मृत्यु के उपरांत वादग्रस्त भूमि गोविंद की पत्नी सुंदरबाई के नाम पर हुई। गोविंद व सुंदरबाई की कोई संतान नहीं थी। सुंदरबाई ने वादग्रस्त भूमि वादीगण की माता सीताबाई के नाम से वसीयतनामें के आधार पर कर दी।

11– वादी साक्षी सावित्रीबाई (वा.सा. 1) ने अग्रेतर कथन किया है कि वादीगण की माता की मृत्यु वर्ष 1995 में हुई। उसकी माता की मृत्यु के उपरांत

उसके दोनों भाई बद्रीलाल व बंशीलाल ने वादग्रस्त भूमि अपने नाम से करवा ली। उस समय वादीगण ने आपत्ति ली थी तो उन्होंने कहा कि उन्हें पैसा देते रहेंगे। बाद में प्रतिवादी बंशीलाल ने ढाई बीघा जमीन बेच दी जिस पर उन्होंने आपत्ति ली तो उसके पिता ने कहा कि बंशीलाल को जमीन बेचने दो तुम्हे तुम्हारा हिस्सा दे देंगे।

12— जिसके विपरीत कथन करते हुये प्रतिवादी साक्षी बंशीलाल (प्रति.सा.क्र. 1) ने यह कथन किया है कि वह वर्तमान में उज्जैन में निवास करता है। ग्राम अहिरवास में उसके नाम से भूमि है जिसका नंबर 81 या 82 होगा। उक्त भूमि लगभग 10 बीघा के आसपास है। वादग्रस्त भूमि उसके पिता के काका गोविंद की संपत्ति थी, जिनके मरने के उपरांत उक्त भूमि उनकी पत्नी सुंदरबाई के नाम से हुई। सुंदरबाई ने वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण को दे दी। तब से वादग्रस्त भूमि पर वे काबिज है। उसके पिता ने उनकी स्वयं की भूमि बेच दी थी। उसके पिता ने अपनी भूमि बेच कर वादीगण को उनका हिस्सा नगदी रूप में दे दिया था। वादग्रस्त भूमि में वादीगण का कोई हिस्सा नहीं है।

13— प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि वादी साक्षी द्वारा अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह व्यक्त किया गया है कि वादीगण की माता सीताबाई को सुंदरबाई ने वादग्रस्त भूमि वसीयतनामें के आधार पर दी थी। परन्तु वादी द्वारा अपने समर्थन में वसीयतनामा प्रस्तुत नहीं किया गया। वादी द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में भी यह स्वीकार किया गया है कि सुंदरबाई ने उसकी माता सीताबाई के पक्ष में जो वसीयत की थी वह उसने नहीं देखी। उसे इस बात की जानकारी भी नहीं है कि उस वसीयत में कौन गवाहदार थे और उस वसीयत में क्या क्या बातें लिखी थी। उसे उसके पिता ने बताया था कि सुंदरबाई ने सीताबाई के पक्ष में वसीयत की। वादी द्वारा अपने समर्थन में वसीयतनामें के गवाह को भी उपस्थित नहीं किया गया।

14— वादीगण द्वारा अपने समर्थन में खसरा की प्रमाणित प्रतिलिपि वर्ष 1994—95 से 1998—99 प्रस्तुत किया जो प्रदर्श पी—02 है। जिसके अवलोकन

से यह दर्शित होता है कि वादग्रस्त भूमि पर कब्जेदार के रूप में पहले सुंदरबाई का नाम दर्ज था जिस पर कांट छांट करके सीताबाई पति रतनलाल लिखा गया है। जिस पर यह भी स्पष्ट रूप से दर्शित नहीं है कि इस प्रकार क्यों कांट छांट करके नाम बदला गया व किस आदेश के अंतर्गत नाम में कांट छांट की गई। प्रदर्श पी–02 के दस्तावेज पर जिस प्रकार से कांट छांट करके नाम बदला गया है उससे वादीगण पर संदेह उत्पन्न होता है। उक्त दस्तावे ज पर यह कारण भी स्पष्ट नहीं है कि सुंदरबाई के नाम के स्थान पर सीताबाई का नाम क्यों दर्ज किया गया।

15– वादी द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में यह व्यक्त किया गया है कि गोविंद की पत्नी सुंदरबाई की मृत्यु वर्ष 1994 में हुई। वादी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि उसकी माता की मृत्यु वर्ष 1995 में हुई परन्तु अपने पतिपरीक्षण में व्यक्त किया है उसकी माता की मृत्यु वर्ष 1994 में हुई। यह भी स्पष्ट नहीं है कि वादीगण की माता सीताबाई की मृत्यु किस वर्ष हुई क्योंकि वादी द्वारा अपने मुख्य परीक्षण व प्रतिपरीक्षण दोनों में सीताबाई की मृत्यु के संबंध में भिन्न–भिन्न कथन किये गये है। वादीगण द्वारा सुंदरबाई व सीताबाई की मृत्यु के संबंध में स्पष्ट अभिवचन नहीं किये गये है कि सुंदरबाई व सीताबाई की मृत्यु किस माह में हुई थी। प्रकरण में यह स्पष्ट नहीं है कि सुंदरबाई व सीताबाई की मृत्यु कब हुई।

16– वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादग्रस्त भूमि सुंदरबाई द्वारा वादीगण की माता के नाम पर कर दी गई थी। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 व 15 लागू होती है। वादीगण ने अपने समर्थन में **न्यायदृष्टांत चिंताराम व अन्य विरूद्ध पुष्पाबाई व अन्य (2000) 2 एम.पी.एल.जे. 196** एवं **अनोखीलाल व अन्य विरूद्ध सज्जनसिंह व अन्य (2009) 2 एमपीजेआर 126** प्रस्तुत किये है, जिनमें बिना वसीयत लिखे हिंदु महिला की मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 से शासित होगी। जिसके विपरीत प्रतिवादी क्रमांक 01 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादी को यह स्पष्ट करना चाहिये था कि वादीगण की माता सीताबाई के नाम किस आधार पर

वादग्रस्त भूमि दर्ज हुई। वादग्रस्त भूमि वादीगण की माता के नाम पर दर्ज थी ही नहीं तो किस आधार पर वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रकरण में प्रथमतः वादी को यह सिद्ध करना चाहिये था कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण की माता का स्वत्व यदि है तो किस प्रकार है परन्तु वादीगण द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में हिंदु उत्तराधिकार की धारा 14 व 15 उक्त प्रकरण की परिस्थितियों पर लागू नहीं होती है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टांत भी इस प्रकरण की परिस्थितियों पर लागू नहीं होते है।

17— वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी कमांक 01 द्वारा अपने जवाबदावे में यह कथन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि सुंदरबाई द्वारा उन्हें दी गई है तो प्रतिवादीगण को इस संबंध में वसीयतनामा प्रस्तुत करना चाहिये था कि जिससे यह दर्शित हो सके कि वास्तव में वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी कमांक 01 का अधिकार है। जिसके विपरीत तर्क प्रस्तुत करते हुये प्रतिवादी कमांक 01 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया कि वादी को अपना वाद स्वयं सिद्ध करना चाहिये ना की प्रतिवादीगण द्वारा हुई त्रुटियों का लाभ लेने की कोशिश करना चाहिये। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में वादीगण द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि सुंदरबाई द्वारा उनकी माता सीताबाई को वसीयतनामें के आधार पर वादग्रस्त भूमि दी गई है इसी प्रकार से प्रतिवादी कमांक 01 द्वारा भी यह कथन किया गया है कि सुंदरबाई द्वारा वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण को वसीयतनामें के आधार पर दी गई है। वाद वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है तो वादीगण को अपना वाद अधिसंभाव्यता की प्रबलता तक इस संबंध में प्रमाणित करना चाहिये था कि वादग्रस्त भूमि वादीगण की माता को वसीयतनामें के आधार पर प्राप्त हुई है इसलिये उभयपक्षों का वादग्रस्त भूमि पर अधिकार है।

18— यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जावे कि सुंदरबाई ने सीताबाई के पक्ष में वसीयतनामा लिखा है तो वादीगण को इस संबंध में स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिये थी कि कब सुंदरबाई ने सीताबाई के पक्ष में वसीयतनामा लिखा व

सीताबाई व सुंदरबाई की कब मृत्यु हुई। प्रकरण में वादीगण सुंदरबाई के द्वारा सीताबाई के नाम किये गये वसीयतनामें के आधार पर ही वादग्रस्त भूमि पर अपना स्वत्व व आधिपत्य चाहते है। प्रकरण में वसीयतनामा ही प्रस्तुत नहीं है तो मात्र वादी द्वारा किये गये कथनों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि सुंदरबाई ने सीताबाई के पक्ष में वसीयतनामा लिखा था। जब सुंदरबाई द्वारा सीताबाई के पक्ष में वसीयतनामा ही सिद्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व, आधिपत्य व कब्जे का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। परिणामस्वरूप वाद प्रश्न क्रमांक 01, 02 एवं 03 **अप्रमाणित** है।

वादप्रश्न क्रमांक–04 का निराकरण

19– प्रकरण में यह पूर्व में निष्कर्ष दिया जा चुका है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कोई स्वत्व व आधिपत्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की आधिपत्य की भूमि में विधि की सम्यक प्रक्रिया से अन्यथा हस्तक्षेप किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। परिणामस्वरूप वाद प्रश्न क्रमांक 04 **अप्रमाणित** है।

: सहायता एवं खर्च ::

वादप्रश्न क्रमांक– 05 का निराकरण

20– उपरोक्त साक्ष्य विवेचना तथा वादप्रश्न पर प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर यह स्पष्ट है कि वादीगण अधिसंभाव्यता की प्रबलता तक अपना दावा प्रमाणित करने में असफल रहा है। **परिणामस्वरूप वादीगण का वाद निरस्त किया जाता है एवं निम्नाशय की आज्ञप्ति पारित की जाती है कि :–**

(1)	वादीगण का वाद निरस्त किया जाता है।
(2)	वादीगण अपना एवं प्रतिवादीगण का वाद व्यय वहन करेंगे।

(3)	अभिभाषक शुल्क मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय नियम, 1961 के नियम अनुसार अथवा प्रमाण पत्र प्रस्तुत होने पर उसके अनुसार दोनो में से जो भी कम हो जोड़ा जाए।

21— तदानुसार आज्ञप्ति बनायी जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनाकिंत कर घोषित किया गया।

मेरे आलेख पर टंकित किया।

(रूपल गुप्ता)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड,
देपालपुर, जिला इंदौर, (म.प्र.)

(रूपल गुप्ता)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड,
देपालपुर, जिला इंदौर, (म.प्र.)